न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 74/2014

खेताराम उर्फ खेतपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. आदुराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....रेस्पोण्डेन्टस्

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री अजय अरोड़ा, अधिवक्ता अपीलान्ट,
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोण्डेन्ट
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 25.11.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अपील मीमों, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट के पास रोही किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 432/7 में 5.00 बीघा भूमि टी.सी. आवंटित हैं जो आवंटन से आज तक लगातार अपीलान्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। चकबन्दी में आने पर यह रकबा चक 2 के.एस.पी.एम. के पत्थर नम्बर 10/24 में पैमूद हुआ। वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा वाला रकबा इसी पत्थर नम्बर के किला नम्बर 8, 13, 14, 16, 17 का हैं व इसी पर अपीलान्ट का कब्जा हैं व इसी रकबा की पर्चा खतौनी जारी की गई थी। वर्षा होने पर अपीलान्ट अपने खेत पर काम कर रहा था तो रेस्पो. न. 1 खेत में आया व अपीलान्ट को कहा कि इस पत्थर नम्बर का किला नम्बर 16 उसका है, इस बीघा को काश्त मत करना, यह बीघा उसको फिट कर दिया हैं व अपीलान्ट को किला नम्बर 18 फिट कर दिया हैं जिस पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। फिटिंग की नकल प्राप्त फिटिंग के निर्णय की जानकारी होने के बाद अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। फैसले के ज्ञान होने की तारीख का पता लगने पर फैंसला की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने की देरी को माफ करने के लिए मियाद कानून की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किये गये व तहसीलदार सूरतगढ़ से रिकार्ड तलब किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु रखी जाकर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक ने अपील में लिखित बिन्दुओं को ही मुख्य रूप से दोहराते हुए बहस की कि किला नम्बर 18 उसके कब्जा काश्त में नही हैं , किला नम्बर 16 उसके कब्जा काश्त में हैं। पर्चा खतौनी में जो किला नम्बर 16 काटकर 18 किया गया हैं, वह गलत है। उसे बिना सुने रकबा का परिवर्तन किया गया हैं जो उचित नहीं हैं इसलिए अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जिस आदेश की अपील की हैं वह तारीख 18–04–2006 का हैं व अपील 23.07.2006 यानि आठ वर्ष तीन माह बाद पेश की गई हैं जो मियाद बाहर हैं व प्रार्थना पत्र मियाद कानून में भी देरी का कोई स्पष्ट कारण नही बताया गया हैं। इसलिए अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। जहां तक अपील दर्ज तथ्यों के गुण दोष का प्रश्न हैं रेस्पो. न. 1 को भी रोही किशनपुरा का खसरा नम्बर 432/6 का रकबा आंवटन हैं व पत्थर नम्बर 10/24 का किला नम्बर 16, 17, 24, 25 में 4.00 बीघा रकबा कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं जो टी.सी. आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त में हैं, इसी को सुधार कर काबिल काश्त किया हैं व आज यही किला नम्बर 16 रेस्पो. के पास हैं व किला नम्बर 18 अपीलान्ट के कब्जा में हैं, किला नम्बर 18 अपीलान्ट के रकबा के चिपता हैं व किला नम्बर 16 रेस्पो. न. 1 के दूसरे रकबे के बीच में पड़ता है। किला नम्बर 18 में काश्त करने के लिए रेस्पो. को जाने का कोई रास्ता ही नहीं हैं। भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारी तहसीलदार द्वारा पूरी जांच करने के बाद ही अपीलान्ट को किला नम्बर 16 के स्थान पर किला नम्बर 18 फिट किया गया हैं इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

पैरोकार राज ने जैरअपील फैसले की ताईद करते हुए बहस की कि पूरी जांच के बाद ही जैरअपील फैसला कानून सम्मत पारित किया गया हैं व अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना उचित है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि जैर अपील निर्णय दिनांक 18.04.2006 का हैं व अपील दिनांक 22.07.2014 को प्रस्तुत हुई जो दिनांक 23.07.2014 को दर्ज की जाकर सुनवाई शुरू की गई। अपील आठ वर्ष देरीना प्रस्तुत की गई हैं व मियाद कानून के प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया हैं जबकि देरी के एक एक दिन का विवरण दिया जाना जरूरी हैं। रेस्पो. ने भी अपीलान्ट के शपथ पत्र के काउन्टर में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं इसलिए मियाद कानून के प्रार्थना पत्र के साथ लगे प्रार्थना पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा पांच मियाद कानून के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील मियाद में शुमार करते हुए अपील का फैसला गुण व दोष के आधार पर किया जा रहा हैं।

जहां तक अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस हैं कि बिना वजह से ही किला नम्बर 16 बदल कर उसके स्थान पर किला नम्बर 18 कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

दिया। यह बात रिकार्ड से साबित नहीं हो रही हैं। अदालत मातहत में रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, हल्का पटवारी द्वारा मौका के कब्जा काश्त की जाचं की गई व जिसमें पाया गया कि किला नम्बर 18 अपीलान्ट के कब्जा काश्त में हैं व किला नम्बर 16 रेस्पो. न. 1 के कब्जा काश्त में हैं। एक ही मुरब्बा व एक ही खसरा का रकबा हैं व काश्त की सुविधा से भी किला नम्बर 18 अपीलान्ट के सुविधाजनक हैं व किला नम्बर 16 रेस्पो. न. 1 के सुविधाजनक हैं। बहस पर चिन्तन व मनन करने व रिकार्ड का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने व भू–राजस्व/भू–अभिलेख के नियमों की जानकारी लेने पर अदालत मातहत का जैरअपील निर्णय सही पारित किया हुआ जान पड़ता हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त कलक्टर
सूरतगढ़।

Scanned by CamScanner